हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 31 अगस्त, 2026 को 02:00 बजे मध्याहन-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. **<u>प्रश्न।</u>**

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. **<u>शून्य काल।</u>**

III. **<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>**

(i)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-17</u>** जिसकी सूचना- 1. **श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.** 2. **श्रीमती पूजा, एम.एल.ए.** 3. **श्री आफ़ताब अहमद, एम.एल.ए.** 4. **श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.** 5. **श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए.** 6. **श्री निर्मल सिंह मोहडा, एम.एल.ए.** 7. **श्री मनदीप चट्ठा, एम.एल.ए.** 8. **श्री चंद्र प्रकाश, एम.एल.ए.** 9. **श्री नरेश सेलवाल, एम.एल.ए.** 10. **श्री देवेन्द्र हंस, एम.एल.ए.** 11. **श्री बलराम दांगी, एम.एल.ए.** 12. **श्री भरत सिंह बैनीवाल, एम.एल.ए.** 13. **श्री रघुबीर तेवतिया, एम.एल.ए.** 14. **श्री जस्सी पेटवाड, एम.एल.ए.** 15. **श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए.** 16. **श्री विकास सहारण, एम.एल.ए.; तथा** 17. **श्री गोकुल सेतिया, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है।	हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच.के.आर.एन.) के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति में अनियमितताओं तथा पारदर्शिता की कमी से सम्बंधित।
(ii)	**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-25** जिसकी सूचना- **श्री आदित्य सुरजेवाला, एम.एल.ए.**द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।

IV. **<u>'नेवा' पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2026-2027 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u> ।**

(i)	वित्त मंत्री	2026-2027 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii)	चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति	2026-2027 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

V. 2026-2027 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)।

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 1	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹2,62,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **1 - विधान सभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 1-3
मांग संख्या 3	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹4,25,00,000/-**से अधिक न हो, मांग संख्या **3 - सामान्य प्रशासन / निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 4-6
मांग संख्या 4	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹32,83,10,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹1,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **4 - राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं) /आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 7-11
मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹323,66,67,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹341,51,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **5 - गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा) / जेल (कारागार) /न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 12-32
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1005,03,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **6 - वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 33-39

मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹106,48,46,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹4,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **10 - कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 40-57
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹904,25,00,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹200,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **11 – सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 58-61
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1,53,00,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹39,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक) / उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) /महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 62-67
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹10,00,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **13- खेल / विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व / संग्रहालय / पर्यटन)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 68-69
मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹176,57,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **14 – स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 70-72

मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹9,01,43,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **15 - श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण / रोजगार / युवा मामले)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 73-76
मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹12,85,50,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **16 - सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 77-82
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹153,08,00,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹729,10,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **17 - लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 83-101
मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1341,53,25,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹100,01,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **19 - ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) / उद्योग एवं वाणिज्य / एमएसएमई / सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 102-112
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1356,73,69,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹440,34,00,000/-** से अधिक न हो, मांग संख्या **20 - नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त) पृष्ठ संख्या 113-134

VI. सरकारी संकल्प।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- चूंकि संसद ने जीवन की सहजता तथा कारोबार करने के लिए विश्वास-आधारित शासन को आगे बढ़ाने हेतु लघु अपराधों को अपराध मुक्त करने तथा तर्कसंगत बनाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) में कुछ संशोधन करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) अधिनियमित किया है-

और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) दिनांक 15 फरवरी, 2024 को अधिसूचित किया है;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (2) उपबन्ध करती है कि यह सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को लागू होगा तथा यह ऐसे अन्य राज्य जो ऐसे अंगीकरण की तिथि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा यह अधिनियम अपनाता है;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा-(1) की उप-धारा उपबन्ध करती है कि यह हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में तुरन्त लागू होगा, किसी ऐसे अन्य राज्य में लागू होगा जो ऐसे अंगीकरण की तिथि को उसके खण्ड - (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद - 252 के खण्ड - (1) के अधीन इस अधिनियम को अपनाता है;

और चूंकि हरियाणा राज्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 5) को अपनाना चाहता है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड - (1) तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या -5) की धारा-1 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानमण्डल का यह सदन इसके द्वारा जीवन की सहजता तथा कारोबार करने के लिए विश्वास-आधारित शासन को आगे बढ़ाने के हेतु लघु अपराधों को अपराध मुक्त करने तथा तर्कसंगत बनाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) को अपनाने का प्रस्ताव पारित करता है।

VII. <u>विधायी कार्य।</u>

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
3. हरियाणा स्थानीय लेखा-परीक्षा विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा स्थानीय लेखा-परीक्षा विधेयक, को पुरःस्थापित करेंगे।
4. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
5. हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
6. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
7. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

8. हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
9. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3.	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4.	हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
30 **अगस्त**, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा. प्र. से,
सचिव।